न्यायालय उप खण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी – पंकज गढ़वाल आर.ऐ.अस.

प्रार्थना पत्र सं. 71/2021

निर्णय दिनांक 23.6.2021

हरकोरी पत्नि कैलाश जाति जाट निवासी लुटाणा पूर्ण तहसील राजगढ़ जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज.भू-राजस्व अधिनियम ।

उपस्थिति – 1.श्री चन्द्रभान एडवोकेट – वास्ते प्रार्थी

2.पैरोकार राज – राज्य की और से

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 अल.आर.एक्ट इस आशय का पैश किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 1 तादादी 5.0300 हेक्टेयर, खसरा नं. 11 तादादी 4.2900 हेक्टेयर, खसरा नं. 18 तादादी 3.4900 हेक्टेयर, खसरा नं. 2 तादादी 4.94 00 हैक्टेयर, खसरा नं. 24 तादादी 2.3300 हेक्टेयर, खसरा नं. 28 तादादी 2.6000 हैक्टेयर, खसरा नं. 40 तादादी 1.0600 हैक्टेयर कुल तादादी 23.7400 हेक्टेयर रोही लुटाणा पूर्ण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है, जिसमें प्रार्थिनी के हिस्सा की 175/2374 हिस्सा भूमि ही विवादित कृषि भूमि है, प्रार्थीनी के पहचान के सभी राजकीय

दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता सूचि, जन्म प्रमाण पत्र, पेन कार्ड में प्रार्थिनी का नाम हरकोर दर्ज चला आ रहा है मगर प्रार्थिनी के पति के स्वर्गवास के बाद दर्ज विरासतन नामान्तरकरण में परिवार के सदस्यों ने अशुद नाम रेशमा दर्ज करवा दिया जिससे प्रार्थीनी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रार्थीनी किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि आदि की सुविधाओं से वंचित रह रही है, उक्त विरास्तन नामान्तरकरण की लिपिकीय अशुद्धी के कारण प्रार्थीनी का नाम उक्त कृषि भूमि की जमाबंदियो में रेशमा अशुद्ध रूप से ही दर्ज चला आ रहा है जिस कारण प्रार्थीनी के लिये उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रेशमा की जगह हरकोरी दर्ज करवाने के लिये यह शुद्धी का प्रार्थना पत्र पैश किया जाना आवश्यक हो गया है आदि आदि पैश किया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया व तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई जाकर शामिल मिसल की गई ।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी खाता सं. 23 रोही लुटाणा पूर्ण, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व जन्म प्रमाण पत्र पैश किये हैं कृषि भूमि खाता सं. 23 को छोड़ कर अन्य सभी दस्तावेज में प्रार्थीनी का नाम हरकोर दर्ज है व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र का समर्थन अंकित कर प्रार्थीनी का नाम शुद्ध करने की अभिशंषा की है कि प्रार्थीनी का नाम कृषि भूमि खसरा नं. 1 तादादी 5.0300 हेक्टेयर, खसरा नं. 11 तादादी 4.2900 हेक्टेयर, खसरा नं. 18 तादादी 3.4900 हेक्टेयर, खसरा नं. 2 तादादी 4.94 00 हैक्टेयर, खसरा नं. 24 तादादी 2.3300 हेक्टेयर, खसरा नं. 28 तादादी 2.6000 हैक्टेयर, खसरा नं. 40 तादादी 1.0600 हैक्टेयर कुल तादादी 23.7400 हेक्टेयर रोही लुटाणा पूर्ण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में रेशमा की जगह हरकोर दर्ज किया जाना उचित है तथा दोराने बहस भी अप्रार्थी ने प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ती नहीं होना जाहिर किया है । उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पैश नहीं हुआ है तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व अप्रार्थी से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रमाणित पाया गया है जिस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

उपखण्ड अधिकारी
(चूरू)

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी पुष्ट व प्रमाणित पाये जाने से स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 1 तादादी 5.0300 हेक्टेयर, खसरा नं. 11 तादादी 4.2900 हेक्टेयर, खसरा नं. 18 तादादी 3.4900 हेक्टेयर, खसरा नं. 2 तादादी 4.94 00 हैक्टेयर, खसरा नं. 24 तादादी 2.3300 हेक्टेयर, खसरा नं. 28 तादादी 2.6000 हैक्टेयर, खसरा नं. 40 तादादी 1.0600 हैक्टेयर कुल तादादी 23.7400 हेक्टेयर रोही लुटाणा पूर्ण तहसील राजगढ़ जिला चूरू की जमाबंदी में प्रार्थीनी का नाम रेशमा पत्नि कैलाश की जगह हरकोर पत्नी कैलाश दर्ज कर शुद्धी की जावे व पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाई जावे । आदेश की पालना हेतु तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू के नाम परवाना जारी किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.6.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)